न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 178 / 2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 गोविन्दराम पुत्र कानाराम।
2 पूर्णराम पुत्र कानाराम समस्त जाति गुर्जर निवासीगण ग्राम देवीपुरा तन चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 शंकरराम पुत्र कानाराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम देवीपुरा तन चिराना तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
2 संतोष देवी पत्नी जीवणराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम ढ़ाणी कांसली त्रिलोकपुरा तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
3 भूमि धारक राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
4 शाखा प्रबन्धक महोदय शेखावाटी ग्रामीण बैंक शाखा खिरोड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
5 शाखा प्रबन्धक महोदय बैंक ऑफ इण्डिया शाखा बसावा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.17
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ मु.नं.
176 / 2013 उनवानी शंकरराम बनाम गोविन्दराम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

उपस्थिति :

1. श्री किशोर कुमार जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 09.10.2019

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा संख्या 176/2013 मे पारित निर्णय दिनांक 26.05.2017 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी शंकरराम पुत्र कानाराम ने प्रतिवादीगण अपीलांट के विरूद्व ग्राम देवीपुरा की भूमि खसरा नम्बर 826,861,863,864,926,927 बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। प्रकरण में विचारण न्यायालय ने दिनांक 11.05.2017 को प्राथमिक डिक्री जारी की है। इसके उपरान्त तहसीलदार से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर निर्णय दिनांक 26.05.2017 से अन्तिम डिक्री पारित की है। इससे व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की और से अन्तिम डिक्री के विरूद्व यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया है कि तहसीलदार ने कोई सुचना दिये बिना व अपीलांटस की गैर मौजुदगी में मनमर्जी से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जो विधि विरूद्व है। विभाजन प्रस्ताव में रास्ते का प्रावधान ही नही रखा गया है जो विधि विपरित है। विचारण न्यायालय ने बाई मिटस एण्ड बाउन्डस विभाजन नही किया है। अत अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये बिना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। तहसीलदार ने विभाजन प्रस्ताव से पूर्व पक्षकारों को सूचित भी नही किया है एवं उनकी अनुपस्थिति में प्रस्ताव तैयार किये है। विभाजन प्रस्ताव में रास्ते का प्रावधान भी नही रखा गया है। ऐसी स्थिति में विचाराधीन निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त की जाती है एवं प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर बाद सुनवाई प्रकरण में विधि अनुसार गुणावगुण पर पुन निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.10.2019 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर